कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।

(उ0प्र0, नगर एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत)

भवन निर्माण स्वीकृति पत्र

अवैध निर्माण के विरूद्ध योजित वाद संख्या–269/27(2015–16) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को शमन करने के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ अशमनीय अंकित भागों को आवेदक द्वारा स्वयं हटाये जाने हेतु मानचित्र निर्गत किया जाता है :–

1. समूह आवास भूखण्ड के खुले भाग में नियमानुसार वृक्ष लगाना होगा।
2. शमन मानचित्र की स्वीकृति समूह आवास प्रयोजन हेतु किया जायेगा।
3. समूह आवास शमन मानचित्र में दर्शाये गये भू–तल (स्टिल्ट फ्लोर) प्रथम तल व द्वितीय तल पर अशमनीय निर्माण को शमन उपविधि के प्राविधानानुसार अधिकतम 30 दिन के अन्दर कुशल स्ट्रक्चरल इंजी0 की देख–रेख में समाप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण अशमनीय भाग को हटाते हुए व्यय हुई धनराशि को भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल करता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. समूह आवास शमन मानचित्र के अनुसार दर्शित स्थल के सम्बन्ध में स्वामित्व यदि सरकारी भूमि आदि से भविष्य में प्रभावित होता है तो प्रदत्त स्वीकृति निरस्त होने पर समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. भविष्य में यदि किसी भी मद में प्राधिकरण या किसी अन्य विभाग की कोई देयता बनती है तो जमा किया जायेगा।
6. स्वीकृत समूह आवास मानचित्र संख्या–608/15(2012–13) दि. 15.01.2014 के अन्य प्रतिबंधों का पूर्व की तरह यथावत पालन करना होगा।
7. वांछित विभागों से प्राप्त अनापति प्रमाण–पत्र में उल्लेखित शर्तो का पालन किया जायेगा।
8. शासनादेश के अनुसार सोलर वाटर हीटिंग संयत्र का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
9. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण के सापेक्ष धनांक रू0 2,50,000.00 का एफ.डी.आर. प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नियमानुसार पूर्ण होने पर एफ.डी.आर. अवमुक्त किया जायेगा।
10. निर्माण पूर्ण कर अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. वांछित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
12. स्थल पर एस.टी.पी. की व्यवस्था करनी होगी।
13. आंतरिक विद्युतीकरण का समस्त कार्य उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के मानकों के अनुसार अपने व्यय पर पूर्ण करना होगा।
14. स्थल के समीप भविष्य में ट्रंक सीवर लाईन डाले जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च–खर्चे पर आंतरिक सीवर लाईन को ट्रंक सीवर लाईन से जोड़ा जायेगा।
15. मलवा अपने निजी भूखण्ड में रखना होगा।
16. अपार्टमेण्ट एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
17. स्वीकृत समूह आवास मानचित्र का डिस्प्ले स्थल पर करना होगा।
18. निर्मित/प्रस्तावित समूह आवास स्थल की 12.00 मी0 चौड़ी पहुँच मार्ग को सम्मिलित कर मानचित्र संशोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है, से दो और समूह आवास मानचित्र क्रमशः मानचित्र संख्या–810/15(2013–14) व मानचित्र संख्या–86/15(2018–19) पूर्व में समान आवेदकगण द्वारा स्वीकृत कराये गये दोनों समूह आवास मानचित्र हेतु पहुँच मार्ग उपयोग के संबंध में आवेदकगण को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. आंतरिक विकास कार्यों के सापेक्ष अनुमानित व्यय के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी अथवा इसी मूल्य की भूमि/फ्लैट बंधक करना होगा जो कि आंतरिक विकास कार्य नियमानुसार पूर्ण होने व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर अवमुक्त किया जायेगा।
20. समूह आवास के निर्माण के विधिवत हस्तान्तरण के पूर्व तक आंतरिक विकास कार्य के अनुरक्षण का दायित्व आवेदकगणों का होगा।

अवर अभियन्ता अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़।	जोन प्रभारी/सहायक अभियन्ता अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़।	पीठासीन अधिकारी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़। 19.05.2023

कार्यालय
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़।

कार्यालय पता:
रामघाट रोड, ओवर लेडी फातिमा स्कूल के सामने, अलीगढ़।
दूरभाष : 0571–2740682
वेबसाइट : www.adaaligarh.in
E-mail : ada1981@rediffmail.com

पत्रांक 4597 / प्रवर्तन अनुभाग / 2025–26 दिनांक 22.11. .2025

श्री नदीम खान, श्री योगेन्द्र पाल सिंह
जादौन बिल्डर्स प्रा0लि0
स्थल–निकट प्रदर्शनी स्थल जेल रोड,
अलीगढ़।

विषय :–ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं0–608 / 15(2012–13) व शमन मानचित्र सं0–269 / 27(2015–16) के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृति पत्र में खसरा संख्या अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया स्वकीय प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2025 के क्रम में अवगत कराना है कि स्थल–खसरा सं0–982 / 1, 978 / 2, कस्बा कोल, जेल रोड, अलीगढ़ पर ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या–608 / 15(2012–13) दिनांक 15.01.2024 व शमन मानचित्र सं0–269 / 27(2015–16) दि. 20.07.2020 को सक्षम प्राधिकारी उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी है एवं शमन मानचित्र दिनांक 19.05.2023 को निर्गत हुआ है।

अतः तद्नुसार अवगत हो।

पीठासीन अधिकारी
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़।

Scanned with OKEN Scanner